नगर निकायों में सिंगल विंडो सिस्टम

हिन्दुस्तान 20-12-12

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

नागरिक सुविधाओं के लिए अब सिंगल विंडो सिस्टम लागू होगा। इसके लिए सभी नगर निकायों में ई-म्यूनिसिपॅलिटी योजना का सहयोग लिया जाएगा। इसके तहत आम लोगों को उनकी जरूरत के तमाम दस्तावेज एक ही जगह सहजता से उपलब्ध होंगे। राज्य सरकार की मंजूरी के बाद नगर विकास व आवास विभाग ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसका कार्यान्वयन अगले पांच वर्षों में होगा और इस पर लगभग 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

नगर विकास मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने बताया कि ई-गवर्नेंस आज की जरूरत बन गयी है।

इस योजना के कार्यान्वित होने के बाद लोगों को काफी सहूलियत होगी। उन्हें अपनी जरूरत के कागजात के लिए अधिक भटकना नहीं पड़ेगा। इस योजना के तहत उन्हें हर सुविधा एक ही जगह उपलब्ध हो सकेगी।

चाहे वह जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन हो या फिर प्रॉपर्टी टैक्स या कर लीज या सैरात की सुविधा हो। वर्ष 2017 तक इसे सभी 55 नगर निकायों में लागू कर देने की योजना है। इनमें सभी 11 नगर निगम, 42 नगर परिषद व दो नगर पंचायत शामिल हैं।

खर्च होंगे 38 करोड़

- जन्म प्रमाण पत्र से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स की सुविधा एक जगह
- सभी नगर निकायों में ई-म्यूनिसिपलिटी योजना का लिया जाएगा सहयोग

क्या-क्या होंगी सेवाएं

जन्म-मृत्यु निबंधन, जलापूर्ति एवं सीवरेज, भवन योजना की स्वीकृति एवं नियम, निबंधन व अनुज्ञप्ति, एकाउंटिंग मोड्यूल, स्वास्थ्य एवं सफाई, विज्ञापन एवं होल्डिंग, भूमि एवं स्टेट प्रबंधन, झुग्गी-झोपड़ी (स्लम) सूचना प्रणाली, संपत्ति कर, जन शिकायत, कार्य प्रबंधन प्रणाली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कर्मी प्रबंधन प्रणाली, कर लीज, सैरात, सामान्य प्रशासन, कार्य प्रगति, दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली